[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह बहुत आश्चर्य तथा खेद का विषय है कि जिन हरिजनों को भूमि के पट्टे दिये गये थे उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला है। एक पंचायत मेम्बर ने अवश्य ही अपने परिवार के सदस्यों के नाम काफी जमीन कर ली है और उन्हें जमीन का कब्जा भी मिल चुका है। इस पंचायत सदस्य के प्रभाव से गांव की फालतू जमीन एक ही परिवार के सदस्यों के उपयोग में आ रही है। यहां तक कि हरिजन भाइयों के श्मशान को भी साजिश करके बेच दिया गया है। गांव की फालतू जमीन पर नाजायज कब्जा करके उस पर ईंटों के भट्टे लगा दिये गये हैं।

मेरी मांग है कि बवाना गांव में भूमि वितरण के नाम पर हरिजन भाइयों के साथ जो मखौल किया गया है उसकी उच्चस्तरीय जांच की जाय। जिन हरिजनों को भूमि का आवंटन किया गया और जिनसे रुपये भी वसूल किये गये उन्हें अविलम्ब भूमि का कब्जा दिया जाय। गांव में इस अन्याय के विरूद्ध बड़ा रोष व्याप्त है। यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

(v) Alleged retrenchment of Labourers working on famine relief works in Bhilwara, Rajasthan.

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा (राजस्थान) जिले की आबादी 12.50 लाख है और 3-4 साल से भयंकर अकाल से ग्रस्त है। पिछले साल भी इस जिले में अकाल था तब एक लाख से ज्यादा लोग अकाल राहत पर लगे हुए थे। इस वर्ष भी करीब 70 हजार लोग तारीख 14-3-82 तक अकाल राहत पर लगे हुए थे।

अकाल राहत प्रोग्राम के अधीन लोगों को काम दिया जाता है। लेकिन हाल ही में 15 हजार लोगों को काम से छुट्टी दे दी गई है, जिससे कि भूख से पीड़ित लोगों की पीड़ा में और भी अधिक वृद्धि हो गई है। वह काम की तलाश में इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इस भयंकर महंगाई के समय काम से अलग करना गरीब के साथ भयंकर अन्याय है। गरीबी की सतह से नीचे तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों को ऐसे भयंकर अकाल के समय में काम से अलग करना गरीब के प्रति अन्याय के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता।

सस्ते अनाज की भी उचित व्यवस्था नहीं, न पीने के पानी की व्यवस्था है कुछ क्षेत्रों में जहां प्रभावशाली लोग हैं वहां जरूरत से ज्यादा सामान जुटा दिए गए और बकाया सारे क्षेत्र में पीने के पानी का भारी अभाव है और ज्यों-ज्यों गर्मी का मौसम आएगा त्यों-त्यों पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। समय रहते पीने के पानी की व्यवस्था न की गई तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

अंत में मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि राजस्थान की सरकार व जिलाधीश भीलवाड़ा ने जिन 15 हजार मजदूरों को काम किया है, उनको तुरन्त काम पर वापस लगाया जाए व अनाज व पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। जिन सरकारी अधिकारियों ने यह अन्याय किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

(vi) Need for permanent anti-flood measures in certain Eastern districts of Uttar Pradesh.

**श्री महावीर प्रसाद** (बांसगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सिंचाई मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी करनाली (मालूबाग) योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे 16 जिले जो घाघरा एवं राप्ती नदियों की चपेट में प्रत्येक वर्ष आते हैं और प्रत्येक वर्ष प्रांतीय एवं केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपये धन-जन की रक्षा एवं भवनों की मरम्मत हेतु व्यय करती है। किन्तु इससे अस्थाई रूप से कुछ क्षणिक मदद मिल जाती है। ये सारी आपदाएं

नेपाल से बहने वाली विशेषकर घाघरा एवं राप्ती नदियों द्वारा आती रहती हैं । वैसे मेरा निर्वाचन क्षेत्र बांस गांव जो सदियों से पिछड़ा हुआ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, जिसके मध्य से राप्ती एवं घाघरा नदी अपनी तीव्र गति से बहती हुई प्रत्येक वर्ष बाढ़ से धन-जन को नुकसान पहुंचाती हैं ।

मान्यवर, यदि इस पर केन्द्रीय सरकार अविलंब स्थाई रूप से विचार-विमर्श करके आवश्यक कार्यवाही नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश के वे सभी 16 जिले सदैव बर्बाद होते रहेंगे और करोड़ों रुपये नदियों के प्रवाह में बहते रहेंगे । इस संबंध में जनवरी सन् 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री यशवंत राव चव्हान ने नेपाल की यात्रा से वापस आने पर नई दिल्ली में अपने बयान में निम्न वाक्यों को प्रदर्शित किया था "मैं इस बात का खास तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों ने वर्तमान प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत करनाली परियोजना पर कार्य जारी रखना स्वीकार कर लिया है और पंचेश्वर बांध परियोजना और राप्ती बाढ़ नियंत्रण परियोजना की संयुक्त जांच-पड़ताल का काम, जितनी जल्दी हो सकेगा, शुरू किया जाएगा।"

मान्यवर, इसी संदर्भ में 5 मार्च, 1979 को एक प्रश्न के जवाब में तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने भी कहा कि "भारत और नेपाल राप्ती तथा पंचेश्वर परियोजनाओं के संबंध में संयुक्त अन्वेषणों को आरम्भ करने और करनाली परियोजना के बारे में प्राथमिक मामलों की जांच करने के लिद एक संयुक्त भारत-नेपाल समिति पहले ही स्थापित हो गई है, पंचेश्वर परियोजना का अन्वेषण करने के लिए संयुक्त विशेषज्ञ दल भी गठित कर दिया गया है और राप्ती (मालूबांग) परियोजना के अन्वेषण से संबंधित कार्य एक एजेंसी को सौंपने के बारे में नेपाल सरकार के साथ समझौते किए जा रहे हैं ।

श्रीमन्, उक्त दोनों सरकारों के प्रयत्नों के बाद भी आज तक कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आ रही है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी पूर्वांचल के जिले बाढ़ से बर्बाद होते जा रहे हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि भारत सरकार और नेपाल सरकार उक्त योजनाओं पर अविलंब विचार करके कार्य शुरू कर दें तो बाढ़ नियंत्रण सिंचाई एवं विधुत उत्पादन में दोनों देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे ।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय सिंचाई मंत्री महोदय से नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदाश के पूर्वी जिलों को बाढ़ के प्रकोप से स्थाई रूप से बचाने के लिए अविलंब आवश्यक कार्यवाही करें तथा पूर्वांचल के लोगों की रक्षा करें ।

---

**11.15 hrs.**

## RE. STATUTORY RESOLUTION ON PROCLAMATIONS IN RELATION TO STATES OF KERALA AND ASSAM

MR. SPEAKER: Shri Pranab Mukherjee.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): I am on a point of order. Before I come to what I have written to you on which I shall speak separately, I am on a point of order regarding Rule 31, about the List of Business. Now we are about to discuss the Statutory Resolution to be moved by the Home Minister regarding approval or disapproval—I underline the words 'approval or disapproval'—of the Presidential Proclamation in relation to Kerala and also Assam later.

Now, how has this House got involved in this whole process of Budget? It is because of the Presidential Proclamation. We get certain powers because the President has issued a Proclamation under Article 356, and 356(b) says that the powers of legislation shall be exercised under the authority of Parliament. That is how we get involved in this whole exercise. Now, it has a power only because of the Presidential Proclamation. I would contend that it is up to the Parliament, both Houses of Parliament to approve or disapprove it. So, when we get into the exercise of approving or disapproving this, that should come first